भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1297
सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

1297. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान युवाओं के लिए, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, रोजगार के अवसरों में सुधार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा औपचारिक रोजगार के अंतर्गत लाए गए कामगारों की संख्या कितनी है; और

(ग) देश भर में चार नए श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की स्थिति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित युवाओं की रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पे-रोल संबंधी आँकड़े औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार के स्तर को दर्शाते हैं। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान 5.99 करोड़ से अधिक हितधारक ईपीएफओ से जुड़े हैं। साथ ही, वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान 7.67 करोड़ से अधिक नए पंजीकृत कर्मचारियों ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत अंशदान का भुगतान किया है।

एक विषय के रूप में "श्रम" भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है और श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सौंपा गया है। चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की दिशा में केंद्र सरकार ने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 34, 33, 32 और 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने क्रमशः मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित कर दिया है।

*****